न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर (अति0 सेशन न्यायाधीश, कम–2, जयपुर जिला जयपुर)

पीठासीन अधिकारी	::	विद्यानन्द शुक्ला, आर.जे.एस.
सैशन प्रकरण संख्या	::	295/2023 (96/2017)
एन0सी0वी0 नंबर	::	228/2022
सी.एन.आर. नंबर	::	

राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर जिला जयपुर।

— बनाम —

1. दानाराम पुत्र श्री रेखाराम,
2. अनिल उर्फ नोलिया पुत्र श्री दानाराम,
3. हेमराज पुत्र श्री दानाराम,

समस्त निवासी–भूरोदियों की ढ़ाणी तन काजीपुरा, पुलिस थाना सांभरलेक, जिला जयपुर ग्रामीण।

—अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3–1 (R)(S), 3–2 (Va) अनु0 जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्रीमती माया खड़ोलिया, अपर लोक अभियोजक, जयपुर।
2. सर्वश्री सांवताराम गुर्जर, गजेन्द्र सिंह चौहान, रूपेश मीणा एवं रशाल गुर्जर, अधिवक्तागण, अभियुक्तगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 18 मई, 2026**

1. उपरोक्त उनवानी आपराधिक प्रकरण थाना सांभर की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या **120/2017** पर दिनांक 12.09.2017 को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण जयपुर महानगर के यहां संस्थित हुआ और तत्पश्चात् कालांतर में अंतरित होकर दिनांक 01.03.2023 को इस न्यायालय को उचित निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

संक्षिप्त तथ्यः—

2. प्रकरण के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पीड़ित एवं प्रथम सूचनाकर्ता बन्नाराम द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 थानाधिकारी, पुलिस थाना सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि, ''*दिनांक 08.08.2017 को दोपहर 02.30—3.00 बजे वह अपने उधार दिये गये रूपये मांगने के लिए अपने पौत्र जगदीश के साथ दानाराम के घर गया। जहां पर दानाराम को आवाज देकर बाहर बुलाकर उधार दिये रूपये मांगे तो दानाराम ने प्रथम सूचनाकर्ता को जातिसूचक शब्दों के साथ गाली—गलोंच की तथा थाप—मुक्कों से मारपीट करने लगा तथा प्रथम सूचनारिपोर्ट में नामित व्यक्तियों द्वारा जातिसूचक शब्दों से गाली—गलोंच करते हुए लातघूंसों से मारपीट की। जब जगदीश बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की... आदि*।'' उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांभरलेक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2017 दर्ज की गई। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त दानाराम, अनिल उर्फ नोलिया व हेमराज के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भारतीय दंड संहिता व धारा 3—1(R)(S), 3—2 (Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का प्रमाणित मानते हुए प्रस्तुत किया गया।

आरोपः—

3. आरोप पत्र एवं उपलब्ध अनुसंधान सामग्री के आधार पर दिनांक 01.08.2018 को अभियुक्त दानाराम, अनिल उर्फ नोलिया व हेमराज को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 विकल्प में धारा 323 सपठित 34, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3—1(R)(S),3—2 (Va) अनु0 जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। आरोप सुन समझ कर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजनः—

4. अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने के हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0ड0 1 भागीरथ, पी0ड0 2 डॉ महेश कुमार वर्मा, पी0ड0 3 बन्नाराम, पी0ड0 4 हनुमान, पी0ड0 5 हीरालाल को

परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–2 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब बन्ना, प्रदर्श पी–3 चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब जगदीश, प्रदर्श पी–4 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–5 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी–6ए जाति प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–9 नोटिस, प्रदर्श पी–10 लगायत प्रदर्श पी–12 चैक लिस्ट को प्रदर्शित करवाया गया।

परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. में परीक्षित किया गया। अपनी साक्ष्य में गवाहान के कथनों का गलत होना, गवाहान द्वारा झूंठ बोलना तथा विशिष्ट रूप से पैसों के लेनदेन का मामला होना जाहिर करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया।

6. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव गवाह डी0ड0 1 दानाराम, डी0ड02 अनिल, डी0ड03 हेमराज, डी0ड0 4 बोदूराम, डी0ड0 5 पूरणमल को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान गवाह भागीरथ, प्रदर्श डी–2 पुलिस बयान गवाह हनुमान, प्रदर्श डी–2 पुलिस बयान गवाह बन्नाराम पुत्र श्योदान, प्रदर्श डी–4 मदनलाल, प्रदर्श डी–5 बन्नाराम पुत्र देवकरण को प्रदर्शित करवाया गया।

बहसः–

7. बहस अंतिम सुनी गई। संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह जाहिर किया गया कि गवाहान के कथनों से तथाकथित घटना की ताईद नहीं होती है। किसी भी तात्विक साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितगण के साथ जातिसूचक शब्दों से गाली–गलोंच किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

9. अभियोजन पक्ष की बहस में यह जाहिर किया गया है कि गवाहान ने घटना के समर्थन में अभियुक्तगण द्वारा पीडितगण को अनुसूचित जाति/जन जाति का जानते हुए मारपीट किए जाने व गाली–गलोंच किए जाने तथा

जातिसूचक शब्दों से संबोधित किए जाने के तथ्य को संदेह से परे जाकर साबित किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के समस्त तथ्य संदेह से परे साबित हुए है, उन्हें दोषसिद्ध किया जाकर कड़े दंड से दंडित किया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए :–

(1) 2015 (3) जोधन बनाम म0 प्र0 राज्य, सीसी,एस.सी., पेज 1217

(2) 2010 विजय उर्फ चिन्नी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, एस.सी.,पेज 344

(3) 2004, एआईआर,मो. हुसैन व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य, एस.सी. पेज 167

(4) 2004 एआईआर लीला श्रीनिवास बनाम आंध्रप्रदेश राज्य, एस.सी., पेज 1720

(5) 2016 ए.आई.आर. सुदीप बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, एस.सी., पेज 310

(6) 1997 (1) बी.एल.जे.आर. बहादुर शर्मा बनाम बिहार राज्य, पेज 65

(7) 2003 क्रि.ला.जर्नल, युनिस उर्फ कासिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य, एससी, पेज 817

विचारणीय बिन्दु :–

10. उभय पक्षों की साक्ष्य और बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारण योग्य बिन्दु निम्नवत उत्पन्न होते हैः–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.08.2017 को दोपहर करीब 02.30–03.00 बजे, भूरोदियों की ढ़ाणी, काजीपुरा के पास, पुलिस थाना सांभरलेक, जयपुर पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर प्रथमसूचनाकर्ता बन्नाराम एवं जगदीश का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर लातघूंसों व कुंदालय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा उन्हें गाली–गलोंच कर अपमानित किया गया?

2. यदि हां, तो क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितगण को यह जानकारी और आशय रखते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया कि पीड़ितगण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य है?

3. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के लिए उचित दंड क्या होगा ?

विवेचनाः—

11. अब न्यायालय द्वारा उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के प्रकाश में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना निम्नवत् की जा रही है—

विचारणीय बिन्दु संख्या 1 :—

12. हस्तगत प्रकरण प्रथम सूचनाकर्ता / पीड़ित बन्नाराम पी0ड0 3 के रूप में परीक्षित हुआ हैं जो अपनी मुख्य परीक्षा में कमोबेश तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 के ही तथ्यों की पुनरावृत्ति कर रहा है और प्रदर्श पी—4 पर अपने हस्ताक्षर होना भी जाहिर कर रहा है। प्रदर्श पी—4 तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 09.08.2017 को पेश की गयी है और घटना दिनांक 08.08.2017 की बतायी गयी हैं जिस एक दिन की देरी से रिपोर्ट पेश किये जाने का स्पष्टीकरण रिपोर्ट में ही यह लिखा है कि गांव के व्यक्तियो ने राजीनामा कराने के लिए कहा था इसलिए रिपोर्ट कल दर्ज नहीं करवायी थी।

13. घटना का कारण भी यही बताया जा रहा है कि बन्नाराम उधारी के पैसे मांगने दानाराम के घर अपने पौत्र के साथ गया था जब दानाराम को आवाल देकर पैसे मांगे तो वह नाराज हो गया, गाली गलौच कर बन्नाराम व उसके पौत्र जगदीश के साथ मारपीट की गयी। जिरह में बन्नाराम जाहिर करता है कि उसके अंदरूनी चोटे आई थी कोई जाहिरा चोट नहीं आई थी ना ही कोई धाव हुआ था। उसने दानाराम को एक लाख रूपये उधार दिये थे। यह गवाह उक्त सुझाव से इंकार करता है कि दानाराम ने उसके पैसे लौटा दिये हो, यह भी स्वीकार करता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसने दानाराम को एक लाख रूपये उधार दिये हो। उक्त गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि झगड़ा होने पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये हों बल्कि मुलजिम के घर वाले और वही लोग थे। आगे यह गवाह कहता है कि नक्शा मौका मुलजिमान के घर का बनाया था। आगे यह भी कहता है कि बीच—बचाव कराने हनुमान जाट व बन्ने गुर्जर आये थे जो पास की ढ़ाणी में रहते हैं। उक्त गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया है कि हनुमान व बन्ने गुर्जर से उसका पैसे का लेनदेन होता हो। आगे गवाह यह भी स्वीकार करता है कि

वह व दानाराम साथ–साथ उठते बैठते हैं, खाते–पीते हैं, बीडी, सिगरेट भी साथ –साथ पीते हैं।

14. गवाह पी0ड0 4 हनुमान वह व्यक्ति है जिसने बन्नाराम के अनुसार मौके पर बीच–बचाव किया था। वह अपनी मुख्य परीक्षा में कह रहा है कि उसे गाली–गलोंच हो–हल्ले की आवाज सुनाई थी, जब वह उठकर गया तो दानाराम ने बन्नाराम के धक्का मारा जिससे वह गिर गया और गाली–गलोंच की कि नीच जाति कुजात, खटीकड़ा आदि शब्द भी कहे। जिरह में पूछे जाने पर स्वीकार करता है कि दानाराम बन्नाराम से लेनदेन के उधार दिये पैसे मांगता था, यह भी स्वीकार करता है कि पैसे लेने के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। बन्नाराम ने कहा था कि पैसे नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले। फिर दोनों में धक्का–मुक्की हुई थी। फिर उसने दानाराम को समझाया तो दानाराम अपने साथियों को लेकर चला गया। आगे कहता है कि झगड़ा दोनों पक्षों के मध्य हुआ था। आगे गवाह कहता है कि दानाराम पैसे मांगने जाता था तब बन्नाराम पैसे नहीं देता था और सुबह आना, शाम को आना कहकर टालता रहता था। आगे यह भी स्वीकार करता है कि बन्नाराम ने दानाराम को क्या गाली दी, इसका अंकन ए से बी भाग पुलिस बयान में नहीं है। आगे स्वीकार करता है कि दानाराम व बन्नाराम को समझाया था कि पैसे के लिए झगड़ा मत करो, लेकिन बन्नाराम ने यह रिपोर्ट लिखा दी।

15. गवाह पी0ड0 5 हीरालाल प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान के ही समस्त तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि पत्रावली में रूपये उधार देने बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है। आगे यह भी कहा है कि गवाह हनुमान व बन्ने मौके पर थे या नहीं थे, यह नहीं बता सकता। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 पर गवाहान मुस्तगीस के परिवार के सदस्य हैं। उक्त गवाह यह भी स्वीकार करता है कि भागीरथ मौके पर नहीं था। उक्त गवाह यह भी स्वीकार करता है कि भागीरथ ने सुनी–सुनाई घटना के आधार पर ही बयान दिये थे। यह भी स्वीकार करता है कि वजह सबूत जैसे कि लोहे की कस्सी या डंडा बरामद नहीं किया।

16. इसके अतिरिक्त गवाह भागीरथ पी0ड0 1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसके बारे में हीरालाल अनुसंधान अधिकारी ने कहा है कि वह सुनी–सुनाई बातों के आधार पर ही बयान दे रहा था तथा वह प्रथम सूचनाकर्ता बन्नाराम का पुत्र है जो अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट के ही तथ्यों की पुनरावृत्ति करता है। जिरह में पूछे जाने पर स्पष्ट जाहिर करता है कि उसके सामने मारपीट नहीं हुई थी, गाली–गलोंच हुई थी। आगे कहता है कि झगड़ा हुआ तब वह मौजूद नहीं था। फिर आगे कहता है कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन वह पिताजी को टैम्पों में बिठाकर घर ले गया था।

17. इस प्रकार देखा जाए तो जिस पौत्र जगदीश के साथ बन्नाराम मौके पर जाना कह रहा है, वह, उसकी मृत्यु हो जाने से वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है। बन्नाराम के अन्य पुत्र भागीरथ के बयान से ही स्पष्ट नहीं है कि उसने घटना देखी या नहीं। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी हनुमान ने केवल पैसे को लेनदेन को लेकर झगड़ा होना जाहिर किया है तथा दानाराम, बन्नाराम से पैसे मांगता था जबकि बन्नाराम का कहना है कि वह दानाराम से पैसे मांगता था। बन्नाराम द्वारा दानाराम को कोई राशि उधार दी गई हो, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उपरोक्ता गवाहान की साक्ष्य से जो न्यूनतम तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित होता है वह यह है कि दानाराम व बन्नाराम के मध्य पैसे के लेनदेन को लेकर ही झगड़ा हुआ था।

18. बचाव पक्ष की ओर से गवाहान दानाराम, अनिल, हेमराज, बोदूराम, पूरणमल को परीक्षित कराया गया है जो सभी अपनी मुख्य परीक्षा में यही कह रहे हैं कि बन्नाराम व जगदीश ने दानाराम के साथ मारपीट की थी और गंदी–गंदी गालियां दी थी। दानाराम का बन्नाराम के साथ पैसे का लेनदेन था। इस प्रकार उनके बयानों से भी यह स्पष्ट है कि पैसे के लेनदेन को लेकर ही झगड़ा हुआ था। बन्नाराम के कोई जाहिरा चोट नहीं होना स्वयं बन्नाराम ने स्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष मारपीट कर सामान्य क्षति कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः विचारणीय बिन्दु संख्या–1 अभियोजन के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या :— 2

19. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितगण को अनु0जाति/जनजाति का सदस्य जानते हुए जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया गया। इस संबंध में न्यायालय के मतानुसार यदि अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितगण को जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया गया माना जाए तो भी अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3—1 (ड) के तहत अपराध सृजित करने हेतु न्यायालय को यह देखना होगा कि, क्या ऐसा कृत्य अपमानित करने के आशय से लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर किया गया है ? **लोक दृश्य स्थान में आने वाले के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वर्ण सिंह बनाम राज्य, किमिनल अपील नंबर 1287/2008 निर्णय दिनांकित 18.08.2008 में यह विनिश्चित किया था कि घटना लोक दृश्य स्थान पर होना आवश्यक है, जिस हेतु जनता के स्वतंत्र व्यक्तियों के समक्ष अपमानजनक शब्द बोले जाने चाहिए, जिसमें रिश्तेदार व दोस्त शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सलीम अब्दुल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, किमिनल अपील संख्या 1030/2018 निर्णय दिनांकित 25.09.2019 में भी यह विनिश्चय किया गया था कि लोकदृश्य स्थान में अपमानित अथवा अभित्रस्त किया जाना तभी माना जाएगा जब कम से कम एक स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा किया गया हो।**

20. यह भी विधिक स्थिति स्पष्ट है कि यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ जिस स्थान पर मारपीट की गयी हो वहां अभियुक्त व पीड़ित पक्ष के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति होना साबित नहीं होता हो तो वहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। हस्तगत प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है, घटना प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्त के मकान के सामने होना बताया गया है जहां पर पीड़ितगण व अभियुक्त पक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा नहीं बतायी गयी है ना ही घटनास्थल के आसपास के किसी भी गवाह को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़ित के साथ गाली—गलोंच व मारपीट उसको अपमानित करने के लिए की गयी हो। इस प्रकार समस्त

विवेचना उपरांत न्यायालय इस मत पर है कि अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु संख्या–2 साक्ष्याभाव में संदेह से परे जाकर साबित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3 :–

21. चूंकि विचारणीय बिंदु संख्या–1 व 2 अभियोजन पक्ष के विरुद्ध निर्णीत हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण किसी भी कृत्य के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्ष

22. परिणामतः उक्त विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण दानाराम व अनिल उर्फ नोलिया व हेमराज को धारा 341, 323, विकल्प में 323/34, 504 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3–1 (R)(S), 3–2 (Va) अनु0 जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

23. 1. (1) दानाराम पुत्र श्री रेखाराम (2) अनिल उर्फ नोलिया पुत्र श्री दानाराम (3) हेमराज पुत्र श्री दानाराम, समस्त निवासी–भूरोदियों की ढ़ाणी तन काजीपुरा, पुलिस थाना सांभरलेक, जिला जयपुर ग्रामीण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, विकल्प में 323/34, 504 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3–1 (R)(S), 3–2 (Va) अनु0 जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

2. कि अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

3. कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश किए जा चुके है जो बाद जांच तस्दीक किए गए, जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)

24. निर्णय आज दिनांक 18 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)